

एससी, एसटी उद्यमियों को 10 लाख की सहायता—उपमुख्यमंत्री

पटना 05.12.2018

बिहार सरकार द्वारा बिहटा में निःशुल्क उपलब्ध कराई गई 15 एकड़ जमीन पर 130 करोड़ की लागत से भारत सरकार के एमएसएमआई मंत्रालय के तहत टेक्नोलॉजी सेंटर के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एससी/एसटी उद्यमियों को सरकार 10 लाख रुपये की सहायता दे रही है जिनमें 5 लाख का अनुदान व 5 लाख रुपये का कर्ज ब्याजमुक्त होगा। ट्रेनिंग व परियोजना के अनुश्रवण हेतु 25 हजार रुपये अतिरिक्त दिया जा रहा है। एससी/एसटी समुदाय के उद्यमियों के 19 हजार आवेदन में से 1200 का चयन व 218 को उद्योग लगाने के लिए 4.71 करोड़ की राशि वितरित की गयी है।

मुद्रा योजना के तहत बिहार के 22 लाख नौजवानों को 17 हजार करोड़ की राशि बैंकों ने उपलब्ध करायी है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम के तहत 2018-19 में 20 हजार करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों ने पहली छमाही में 10,809 करोड़ वितरित किया है।

श्री मोदी ने कहा कि बिहार की नई औद्योगिक नीति-2016 के तहत 761 करोड़ के निवेश से 85 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। उद्योग लगाने के लिए आए 1030 आवेदनों में से चयनित 880 आवेदनों, जिसमें 12,265 करोड़ की राशि निहित है को पहले चरण का क्लीयरेंस मिल चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 50 लाख यात्री वहन क्षमता वाले बिहटा हवाई अड्डा के लिए राज्य सरकार ने 108 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है, आईटी पार्क की स्थापना के लिए 63 एकड़ के साथ प्रिया गोल्ड को भी जमीन उपलब्ध कराने जा रही है। दानापुर-बिहटा एलिवेडेट रोड की स्वीकृति दी जा चुकी है। अनेक बेहतरीन शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेज में आगामी साल से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जायेगा। बिहटा नोयडा की तरह विकसित हो रहा है।

उन्होंने युवाओं से कहा कि जो इनोवेट करेगा, वही दुनिया पर राज करेगा। युवा संकल्प लें कि अपने जीवन में आईटी व उद्यमिता को अपना कर हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करने के साथ दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।